

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. : 14612 / 22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/414/15, भोपाल दि. 29/07/2015

ADDENDUM (No-11)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 5 में आयटम क्रमांक 5.13 एवं 5.17 में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है -

Item No.	Description	Unit	Rate (Rs.)
5.13	Dense Graded Bituminous Macadam (as per MORTH specification clause No. 507 complete)		
	Providing and laying dense graded bituminous macadam with appropriate batch type HMP using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder @ 4.0 to 4.5 per cent by weight of total mix and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a hydrostatic paver finisher to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MORTH specification clause No. 507 complete in all respects.		
	(III) Grading I layer Thickness (80-100 mm) VG-40	cum	8776.00
	(IV) Grading II layer Thickness (50-75 mm) VG-40	cum	8798.00
5.17	Bituminous Concrete		
	Providing and laying bituminous concrete with 40 to 60 TPH batch type hot mix plant producing an average output of 50 tonnes per hour using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder @ 5.4 to 5.6 per cent of mix and filler, as per design mix, transporting the hot mix to work site, laying with mechanical paver finisher to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction as per MORTH specification clause No. 509 complete in all respects		
	(III) for Grading-I (13 mm nominal size) VG-40	cum	10055.00
	(IV) for Grading-II (10 mm nominal size) VG-40	cum	9942.00

उपरोक्तानुसार आयटम एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 5 में अतिरिक्त आयटम के रूप में जोड़ा गया है। यह ADDENDUM तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(म.प्र. के. गुप्ता) 28/7

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 14613 / 22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-1/414/15, भोपाल दि. 29/07/2015

प्रतिलिपि -

- निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
- मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
- वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
- STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
- महाप्रबंधक-तक. (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
- महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ तथा निर्देशित किया जाता है कि Addendum लागू होने के पश्चात् कार्य स्थल पर Addendum में किये गये प्रावधान का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल को ओर प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पत्र को www.mprrda.com वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रमुख अभियंता 28/7

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)